



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-44

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 272505 दिनांक 18/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Harish Agarwal S/o Laxmi Narayan Agarwal	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री हरीश अग्रवाल	550	275.00 SQ. METER	JDA	KALPNA NAGAR Sector/Block-E	Name Transfer	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड सं. ई-550 क्षेत्रफल 275 व.मी. श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री हरीश अग्रवाल को दिनांक 14.03.2013 को पट्टा जारी किया गया। श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री हरीश अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 02.02.2024 को होने के पश्चात दिनांक 01.08.2025 को श्री दिवाकर अग्रवाल पुत्र श्री हरीश अग्रवाल एवं पुत्री श्रीमती प्रभा अग्रवाल व श्रीमती प्रीती अग्रवाल पुत्री श्री हरीश अग्रवाल तथा दिनांक 18.11.2025 को श्री दिवाकर अग्रवाल पुत्र श्री हरीश अग्रवाल



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बहैसियत  
मुख्त्यारआम  
श्रीमती नीरू  
अग्रवाल पुत्री श्री  
हरीश अग्रवाल  
पत्नी श्री उमंग  
गुप्ता द्वारा  
प्रश्नगत भूखण्ड  
में अपनी  
हिस्सेदारी का  
हकत्याग श्री हरीश  
अग्रवाल पुत्र श्री  
लक्ष्मी नारायण  
अग्रवाल के पक्ष  
में कर दिया गया  
है। श्री हरीश  
अग्रवाल पुत्र श्री  
लक्ष्मी नारायण  
अग्रवाल द्वारा  
नाम हस्तान्तरण  
हेतु आवेदन  
किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Harish Agarwal S/o Laxmi Narayan Agarwal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |